रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082026-275175
CG-DL-E-04082026-275175

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4145] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2026/श्रावण 13, 1948
No. 4145] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2026/SHRAVAN 13, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2026

का.आ. 4321(अ).— जहां कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 (46) में कुछ निकायों या प्राधिकरणों या बोर्डों या ट्रस्टों या आयोगों की विनिर्दिष्ट आय पर छूट का प्रावधान किया गया है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाए;

और जहांकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536 (1) द्वारा निरस्त कर दिया गया है;

और जहांकि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) और (ख) में, अन्य *बातों के साथ-साथ,* यह प्रावधान है कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन पश्चात 1961 के अधिनियम के रूप में संदर्भित) के निरसन के बावजूद और उसकी उप-धारा (4) के अधीन रहते हुए, निम्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा-

(i) 1961 के अधिनियम के प्रावधानों का पिछला संचालन उसके तहत विधिवत रूप से जारी किया गया कोई आदेश या किया गया कोई कार्य या सहन की गयी कोई बात; या

(ii) 1961 के अधिनियम या इस अधिनियम के तहत जारी आदेशों के तहत प्राप्त, अर्जित किया गया कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता;

और जहां कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(ग) में प्रावधान है कि 1961 के इस अधिनियम के प्रावधान आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) के शुरू होने की तारीख को लंबित किसी भी कार्यवाही पर और 1 अप्रैल, 2026 से पहले प्रारंभ होने वाले किसी भी कर वर्ष के संबंध में 1 अप्रैल, 2026 को या उसके बाद शुरू की गई किसी भी कार्यवाही (नोटिस मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना, सुधार, जुर्माना, संदर्भ, संशोधन और अपील सहित) पर लागू रहेंगे और ऐसी कार्यवाही 1961 के अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी;

और जहां कि, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(अ) में यह प्रावधान है कि किसी भी आयकर प्राधिकरण या निरस्त आयकर अधिनियम के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण, या किसी भी अदालत के समक्ष इसके शुरू होने की तारीख को आवेदन, अपील, संदर्भ या संशोधन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से लंबित कोई कार्यवाही को उसी प्रकार जारी रखा जाएगा और निपटाया जाएगा जैसे कि यह अधिनियम अधिनियमित ही न किया गया है।

अतः, अब, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 536(2)(क) से (ग) और (ङ) के प्रावधानों के अनुपालन में, केंद्र सरकार, एतद्वारा 1961 के अधिनियम की धारा 10 (46) के प्रयोजनों के लिए, "ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति" (पैन: AAAGO0158G)", जो कि ओडिशा सरकार द्वारा गठित एक निकाय है, को उस निकाय को होने वाली निम्नलिखित विविनिर्दिष्ट आय के संबंध में, अधिसूचित करती है. यथा:-

(क) उम्मीदवारों से एकत्र परीक्षा शुल्क;

(ख) काउंसलिंग और आवेदन प्रसंस्करण शुल्क: तथा

(ग) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज I

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा समिति –

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगी;

(ख) की गतिविधियां और विविनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेगी; तथा

(ग) 1961 के अधिनियम के 139 (4 ग) (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगी।

3. इन शर्तों का पालन करने में विफलता की स्थिति में 1961 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, और 1961 के अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ले ली जाएगी।

4. इस अधिसूचना को वित्तीय वर्ष 2025-26 से संबंधित निर्धारण वर्ष 2026-27 के लिए लागू मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 109 /2026 / फा. सं. 300196/39/2025-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण-ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या आयकर विभाग के समक्ष दायर किए गए आवेदन के वर्ष से) देने से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।